न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
ट्रांसफर (विविध) संख्याः 35/2021
दायर दिनांकः 18.08.2021
निर्णय दिनांक 04.11.2024

—: अनवान :—

श्रीमती तेज कंवर पत्नी स्व. विजय कुमार जी शर्मा उम्र 55 वर्ष पेशा नौकरी अध्यापिका, निवासी शांति कोलोनी कांकरोली **— प्रार्थीया**

—: बनाम :—

1. श्री चन्द्रप्रकाश पिता गिरजाशंकर जी शर्मा निवासी 45/142 कुशल पोल बडा बाजार, उदयपुर
2. श्री भूपेन्द्र उर्फ सोनु दतक पुत्र स्व. धर्मनारायण जी शर्मा निवासी एन/2–906 संतोष नगर, गायरियावास, उदयपुर, जिला उदयपुर
3. श्री सूर्यप्रकाश पिता मगनलाल जी शर्मा निवासी 2/73 कुशल पोल बडा बाजार उदयपुर
4. श्री जमनाशंकर पिता मगनलाल जी शर्मा निवासी 49 आदर्श नगर कालका माता रोड, पायडा उदयपुर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुंभलगढ जिला राजसमंद
6. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय कुंभलगढ़ तहसील कुंभलगढ़ जिला राजसमंद

—— विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण स्थानान्तरण कराने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 24 रा.टी.ए.</u>

उपस्थित :—

1. श्री महिपाल सिंह, अधिवक्ता प्रार्थीया
2. श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 05, 06
3. अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 04 अनुपस्थित

:: निर्णय ::

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीया का निम्न निवेदन है कि प्रार्थीया ने न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय कुंभलगढ में घोषणा व निषेधाज्ञा का दावा विपक्षी संख्या एक से पॉच के विरूद्ध पेश किया है, जिसमें मूल वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया हैं, जिसके मूल वाद के प्रकरण सं. 54 सन् 2013 रेवे. वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के प्रकरण सं. 57 सन् 2013 रेवे. प्रा. पत्र है। जिसकी सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 28–07–2021 हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद में व

अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में विपक्षी सं. एक से पांच के द्वारा जवाब पेश कर दिया गया तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दोनो पक्ष को यथावत स्थिति बनाये रखने का आदेश हो चुका था। प्रार्थीया ने सन् 2017 में उपखण्ड अधिकारी महोदय कुंभलगढ पटवारी हल्का कुंभलगढ के द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर मजबूर होकर न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय राजसमंद में रणजीत पिता भरत कुमार सोनी निवासी केलवाडा व राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुंभलगढ के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक आदेश का मुकदमा पेश किया था। जिसका निस्तारण दिनांक 25.09.2019 को हो गया, जिसमें राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुंभलगढ व रणजीत सोनी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक आदेश की डिक्री प्रदान की गई और यह आदेश दिया गया कि वादीगण को उसकी आराजी नं. 948 में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे, न ही नया रास्ता निकाले, तथा तहसीलदार साहब कुंभलगढ को यह आदेश दिया जावे कि प्रतिवादी रणजीत सोनी, आ. नं. 963/3 के चारागाह के पास वाली भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करने देवे, उक्त आदेश के पश्चात भी अवैध अतिक्रमण नहीं रूक रहा है। कोरोना काल में तथा राजसमंद न्यायालय में प्रकरण सं. 17 सन 2017 का निर्णय दिनांक 25.09.2019 को हो गया, जिसका अनवान तेज कंवर वगेरा बनाम रणजीत वगेरा है। निर्णय होने के बाद कोरोना की बीमारी की वजह से प्रार्थीया जो किं केलवाडा नहीं गई और राजकीय सेवा में कुंवारिया में कार्यरत होने से अपनी आराजी नं. 940, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949 की देखरेख नहीं कर पाई तो विपक्षी उप खण्ड अधिकारी महोदय कुंभलगढ़ ने रणजीत सोनी ने आ. नं. 940, 942, 943, 944, 945, में अनाधिकार रूप से जे.सी.बी. मशीन लगा कर लाखेला तालाब मे जाने के लिये प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिये अवैध रूप से रास्ता निकालने का कार्य किया जा रहा है। जिसकी शिकायत हेतु परिवाद विपक्षी उप खण्ड अधिकारी महोदय कुंभलगढ के विरूद्ध भी पुलिस अधीक्षक महोदय राजसमंद तथा जिला कलेक्टर महोदय सतर्कता राजसमंद में रिपोर्ट दी गई परन्तु विपक्षी उप खण्ड अधिकारी महोदय कुंभलगढ, तहसीलदार महोदय कुंभलगढ आदि सभी इस कार्यवाही में सम्मिलित थे, इसलिये मामले को झूठा मान कर झूठी रिपोर्ट की गई, मौके पर आज भी मिट्टी रेती पत्थर पड़े हुए है, जे.सी.बी. मशीन से रास्ता खोदा गया है.जिसकी मिट्टी पडी हुई हैं, प्रार्थीगण की भूमि से लाखेला तालाब में जाने का रास्ता कभी नहीं रहा है, उप खण्ड अधिकारी महोदय कुंभलगढ भी जो कार्य चल रहा है, उसकी मौके पर देखरेख कर रहे है, प्रार्थीया के द्वारा उप खण्ड अधिकारी महोदय कुंभलगढ में जो मुकदमें पेश कर रखे है वह सन् 2013 से मामले विचाराधीन लम्बित है, जिनमें आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना हैं कि श्रीमान् सहायक कलेक्टर महोदय कुंभलगढ में लम्बित प्रकरण में मुझे न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, अगर मामला वहीं चलता रहेगा तो कार्यवाही हमारे विरूद्ध होने की पूरी सम्भावना है, हमें न्याय प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिये न्याय हित में प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण जिनका वर्णन प्रार्थना पत्र में वर्णित कर रखा है, को कुंभलगढ न्यायालय से ट्रांसफर कर न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय राजसमंद, अथवा आमेट कही भी

न्यायालय जिला कलक्टर

भिजवाया जावे, मैं एक विधवा मजबूर सरकारी विद्यालय की अध्यापिका हूँ रोज रोज कुंभलगढ जाकर अपने मामलों में पैरवी नहीं कर पा रही हूँ, रणजीत सोनी एक प्रभावशाली व्यक्ति है. जो राजनैतिक पार्टी का नेता है तथा वह विपक्षी उप खण्ड अधिकारी महोदय कुंभलगढ के संरक्षण में हैं मुझे उनसे न्याय की उम्मीद नहीं है. अत श्रीमान् से निवेदन हैं कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त प्रकरणों को अन्यत्र राजसमंद अथवा आमेट में स्थानान्तरित फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर किया जाकर जरिये नोटिस विपक्षी को तलब किया गया। विपक्षी संख्या 05, 06 की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई। शेष विपक्षीगण अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ से टिप्पणी मंगवाई गई। जो शामील मिसल हैं।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया ने न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय कुंभलगढ में घोषणा व निषेधाज्ञा का दावा विपक्षी संख्या एक से पॉच के विरूद्ध पेश किया है, जिसमें मूल वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया हैं, जिसके मूल वाद के प्रकरण सं. 54 सन् 2013 रेवे. वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के प्रकरण सं. 57 सन् 2013 रेवे. प्रा. पत्र है। प्रार्थीया के द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय कुंभलगढ में जो मुकदमें पेश कर रखे है वह सन् 2013 से मामले विचाराधीन लम्बित है, जिनमें आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। श्रीमान् सहायक कलेक्टर महोदय कुंभलगढ में लम्बित प्रकरण में मुझे न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, अगर मामला वहीं चलता रहेगा तो कार्यवाही हमारे विरूद्ध होने की पूरी सम्भावना है, हमें न्याय प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिये न्याय हित में प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण जिनका वर्णन प्रार्थना पत्र में वर्णित कर रखा है, को कुंभलगढ न्यायालय से ट्रांसफर कर न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय राजसमंद, अथवा आमेट कही भी भिजवाया दिया जावे। प्रार्थीया एक विधवा मजबूर सरकारी विद्यालय की अध्यापिका है. और प्रार्थीया को उप खण्ड अधिकारी महोदय कुंभलगढ से न्याय की उम्मीद नहीं है. अत श्रीमान् से निवेदन हैं कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त प्रकरणों को अन्यत्र राजसमंद अथवा आमेट में स्थानान्तरित करने का आदेश प्रदान किया जावें।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्भलगढ की टिप्पणी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद सख्या 54/2013 श्रीमती तेजकुंवर वगैराह बनाम श्री चन्द्रप्रकाश वगैराह इस प्रकरण में कुल 75 तारीख पेशिया पडी है जिसमे अधिकांश पेंशिया निर्वाचन कार्य (पंचायत चुनावो, विधानसभा चुनावो व लोकसभा चुनावो) में व्यस्त होने से बदली गई है व कुछ पेशिया कोविड–19 वजन में बदली गई है एवं कुछ पेशिया अन्य राज्य कार्य से व पीठासीन अधिकारी के अवकाश व बार एसोसिएशन द्वारा न्यायिक कार्य में भाग नहीं लेने से व न्याय आपके द्वार अभियान में बदली गई है। वर्ष 2013

न्यायालय जिला कलक्टर

से न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय, कुम्भलगढ़ में यह प्रकरण विचाराधीन हैं। प्रार्थीया जान बुझकर उक्त प्रकरण को लम्बा करना चाहता हैं। इसलिए यह याचिका पेश की है। स्थानान्तरण का कोई आधार उक्त मामले में नही हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण वर्ष 2013 से अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन हैं। जिसे स्थानान्तरण हेतु सहायक कलक्टर, राजसमन्द/आमेट के यहा पर ट्रांसफर कराने बाबत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीया उक्त प्रकरण में वादी होने के बावजूद जानबुझ कर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण कराना चाहती है। पत्रावली में अतंरण का ऐसा कोई ठोस आधार तथा दस्तावेज पेश नही किये है जिसके आधार पर उक्त प्रकरण में प्रार्थीया को न्याय मिलने की उम्मीद नही हों। केवल पक्षपात कर विपक्षी के पक्ष में निर्णय करने की संभावना के आधार पर पत्रावली अंतरण नही की जा सकती है। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई शपथ–पत्र भी पेश नही किया। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र आधार हीन होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचान्तर्गत प्रार्थीया जानबुझ कर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण कराना चाहती है। पत्रावली में अतंरण का ऐसा कोई ठोस आधार तथा दस्तावेज पेश नही किये है जिसके आधार पर उक्त प्रकरण में प्रार्थीया को न्याय मिलने की उम्मीद नही हों। केवल पक्षपात कर विपक्षी के पक्ष में निर्णय करने की संभावना के आधार पर पत्रावली अंतरण नही की जा सकती है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति सहायक कलक्टर, कुम्भलगढ को प्रेषित करे।

4/11/24

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 04.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/11/24

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)